



प ४२६ ई-१७

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने
बावत।

पक्षकार

ओंमकार सिंह मसराम पिता श्री चमरू मसराम
जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी-130/1, ग्राम देवरी
कला, तह. कुण्डम जिला जबलपुर
विरुद्ध -


अनावेदक

- 1. श्रीमती विनसा अग्रवाल उम्र 40 वर्ष पति रवि अग्रवाल
(गैर आदिवासी) निवासी 363/9, केंट सदर बाजार,
जबलपुर
- 2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा ३५(५) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 27/अ-21/2016-17 में
पारित आदेश दि. २३/०१/२०१७ (Innexeure.1) से व्यथित होकर म.प्र.
भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा ३५(५) के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा
रही है।

2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी ओंमकार सिंह मसराम पिता श्री चमरू
मसराम जाति (गौड़ आदिवासी) निवासी-130/1, ग्राम देवरी कला, तह. कुण्डम
जिला जबलपुर द्वारा ग्राम ढूँडा प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम
जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 32, 33, 76, 79 रकवा क्रमशः 0.480,
0.67, 0.97, 1.15 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकवा 3.270 हेक्टेयर भूमि श्रीमती
विनसा अग्रवाल उम्र 40 वर्ष पति रवि अग्रवाल (गैर आदिवासी) निवासी 363/9,
केंट सदर बाजार, जबलपुर जमीन का विक्रय करने का अनुबंध किया गया है
यह कि पूर्व में उक्त भूमि को श्रीमती रोजलिन रॉबिन वर्गीस पति श्री वर्की
वर्गीस निवासी-1893बी, डिफेंस कॉलोनी, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर द्वारा
मुख्यारकर्ता आम श्रीमती विन्सा अग्रवाल पति श्री रवि अग्रवाल को नियुक्त
किया था। चूंकि मैं लगभग 60 वर्ष की वृद्धि महिला हूँ मुझे आने जाने में काफी
परेशानी होती है तथा इस समय मेरे पास रूपयों की आर्थिक तंगी है इस



21 JAN 2017

1.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 426-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पश्चात्कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-17	<p>यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विलङ्घ म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 23-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम झुंडा प0ह0 नं0 23 (बड़खेरा) रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर दिथित भूमि खसरा नं0 32 एकबा 0.48, खसरा नंबर 33 एकबा 0.67</p>	

(M)

P/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>खसरा नंबर 76 रक्बा 0.97 एवं खसरा नंबर 79 रक्बा 1.15 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा हत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां हैं शासन से प्राप्त भूमियां नहीं हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम डोली प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. हमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 2.570 हैक्टर सिंचित भूमि शेष बच रही हैं जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाहड़ लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वतंत्र की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वतंत्र की ग्राम डुंडा प0ह0नं0 23 (बड़खेरा) रा.नि.मं. हमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 32 रक्बा 048, खसरा नंबर 33 रक्बा 0.67</p> <p style="text-align: right;">(M)</p>	

1/18

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकाशन क्रमांक - अपील 426-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	रार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>खसरा नंबर 76 रकमा 0.97 एवं खसरा नंबर 79 रकमा 1.15 हेक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विकाय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केता द्वारा विकाय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विकायपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाइन की मान से किया जायेगा।</p> <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p><i>[Signature]</i> (एमएको सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</p>	